(b) Under the new Policy for import of feature films etc. announced on 21-1-1988, films eligible for import are only those that have either (a) won an award in any of the notified International Film Festival or (b) participated in any of the official sections of the notified International Film Festival; or (c) received good reviews in the notified film journals.

The criteria for clearance of films for import are the following guidelines on quality:

(1) it should be of aesthetic value;

(2) it should be cinematically of a good standard;

(3) it should provide clean, healthy entertainment to the audience;

(4) it should not be violative of any guidelines issued by the Government under the Cinematograph Act, 1952.

(c) During the last three years i.e. 1985, 1986 and 1987, application for import of 558 films were submitted by NRIs. The names of these films are given in the Annexure (*See* Appendix CXLVI, Annexure No. 22) Out of these, 262 feature films from S. Nos. 297 to 558 were rejected for import.

544. [*Transferred to the 4th May, 1988*].

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी वासियों के लिये नयी योजना

545. श्री रशीद मसूद :
श्री सुब्रह्मण्यन स्वामी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी वासियों को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने हाल ही में 100 करोड़ रुपये की नयी योजना क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की पहचान कर ली है ;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर इनकी संख्या कितनी-कितनी है; और

(ङ) इस योजना के कब तक पूरी तरह क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ङ) सरकार ने एक योजना स्कीम नामत, "झुग्गी समूहों में पर्यावरणीय सुधार योजना" के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झुग्गी समूहों में मूलभूत न्यूनतम नागरिक सुविधाएं देने के लिए 10 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ अनुमोदित की है न कि 100 करोड़ रुपये से, इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम नागरिक सुविधाएं जैसे "भुगतान पर उपयोग" काम्पलैक्स (यानि शौचालय और स्नानगृह) नागरिक प्राधिकरणों से जल की उपलब्धता की निर्भरता पर जल नलकों या हैंड पम्पों द्वारा सामुदायिक जल आपूर्ति, पथ प्रकाश और कूड़े कचड़े के निपटान के लिए कूड़ेदान 300 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय के मानदंड से मुहैया की जा रही हैं।

(ग) और (घ) झुग्गी समूहों में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर लगभग 651 झुग्गी समूहों में करीब 2,41,000 झुग्गियां हैं। भुगतान पर उपयोग आधार पर—सामुदायिक शौचालय और स्नानगृह—जन-सुविधा काम्पलेक्सों की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 241 झुग्गी बस्तियों की पहचान की गई थी। झुग्गी समूहों आकार और आवश्यकताओं की निर्भरता पर ये सुविधाएं सभी झुग्गी-समूहों को विस्तारित की जा रही हैं।